**संख्या-590/2017/1164/22-2-2017-17(151)/2013**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश उर्फ बाबा पुत्र श्री दीपनरायन, निवासी जनपद-मिर्जापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगदीश उर्फ बाबा पुत्र श्री दीपनरायन, ग्राम-विदापुर, थाना-कछवां, जनपद-मिर्जापुर का निवासी है। बन्दी गांजा व शराब पीने का आदी था। बन्दी ने दिनांक 15.05.1993 की सांय या रात्रि में पत्नी से विवाद होने के कारण मारपीट किया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी व शव को घर के अन्दर बन्द करके मकान में ताला लगाकर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-425/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/ई0सी0 एक्ट, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 23.01.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2017 तक 19 वर्ष 02 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 02 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 52 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 15.05.1993 की सांय या रात्रि में पत्नी से विवाद होने के कारण मारपीट किया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी व शव को घर के अन्दर बन्द करके मकान में ताला लगाकर भाग गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगदीश उर्फ बाबा पुत्र श्री दीपनरायन को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगदीश उर्फ बाबा (बन्दी संख्या-41365) पुत्र श्री दीपनरायन, निवासी जनपद-मिर्जापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-590/2017/1164/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।